

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा**  
"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

क्रमांक: एफ.1(अ)(4)/स्था./डीटीए/ 7688

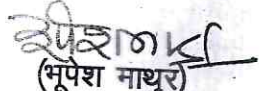
दिनांक: 05/03/2024

**आदेश**

वित्त (व्यय) विभाग की अशा.टीप क्रमांक एफ.डी/ई-2/कार्मिक/(5)/2023-24 दिनांक 04.10.2023 एवं दिनांक 15.02.2024 द्वारा अधीनस्थ विभागों में मंत्रालयिक संवर्ग के स्वीकृत पदों का पुनर्गठन किये जाने पर वित्त (व्यय-4) विभाग की आई.डी. क्रमांक 602400025 दिनांक 26.02.2024 के द्वारा दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में ई-कोषालय, स्टेट साईबर कोषालय व निदेशालय कोष एवं लेखा (मुख्यालय) में मंत्रालयिक संवर्ग का कैंडर रिव्यू (संशोधित) किये जाने की सहमति के फलस्वरूप निदेशालय के मंत्रालयिक संवर्ग की कैंडर स्ट्रेन्थ का दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में निम्नानुसार पुर्ननिर्धारण किया जाता है:-

| क्र. सं. | पदनाम<br>बजट मद<br>2054-00-095-(01)-00<br>राज्य निधि | दिनांक<br>01.04.<br>2023 की<br>स्थिति में<br>स्वीकृत<br>पदों की<br>स्थिति | वित्त विभाग<br>की अशा टीप<br>दिनांक 04.10.<br>2023 के<br>अनुसार<br>संशोधित कैंडर<br>स्ट्रेन्थ प्रतिशत | पदों में<br>वृद्धि/<br>कमी | वित्त विभाग की अशा टीप<br>दिनांक 04.10.2023 के<br>अनुसार ई-कोषालय व<br>निदेशालय कोष एवं लेखा<br>(मुख्यालय) की संशोधित<br>कैंडर स्ट्रेन्थ संख्या | दिनांक 04.10.<br>2023 को<br>स्वीकृत स्टेट<br>साईबर<br>कोषालय के<br>मंत्रालयिक<br>संवर्ग के पद | पुनर्गठन<br>पश्चात्<br>कुल<br>पद |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                    | 3                                                                         | 4                                                                                                     | 5                          | 6                                                                                                                                               | 7                                                                                             | 8                                |
| 1.       | संस्थापन अधिकारी (L-15)                              | 01                                                                        | 1.3                                                                                                   | —                          | 01 (1.17)                                                                                                                                       | —                                                                                             | 01                               |
| 2.       | प्रशासनिक अधिकारी (L-12)                             | 03                                                                        | 4.0                                                                                                   | —                          | 03 (3.6)                                                                                                                                        | —                                                                                             | 03                               |
| 3.       | अतिरिक्त प्रशासनिक<br>अधिकारी (L-11)                 | 07                                                                        | 9.0                                                                                                   | +1                         | 08 (8.1)                                                                                                                                        | —                                                                                             | 08                               |
| 4.       | सहायक प्रशासनिक अधिकारी<br>(L-10)                    | 15                                                                        | 17.0                                                                                                  | —                          | 15 (15.1)                                                                                                                                       | —                                                                                             | 15                               |
| 5.       | वरिष्ठ सहायक (L-8)                                   | 22                                                                        | 24.0                                                                                                  | +1                         | 23 (21.60)                                                                                                                                      | +1                                                                                            | 24                               |
| 6.       | कनिष्ठ सहायक (L-5)                                   | 42                                                                        | 44.7                                                                                                  | -2                         | 40 (40.23)                                                                                                                                      | +2                                                                                            | 42                               |
|          | योग                                                  | 90                                                                        | 100                                                                                                   |                            | 90                                                                                                                                              | 03                                                                                            | 93                               |

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

  
(भूपेश माथुर)  
निदेशक एवं पदेन  
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक: 05/03/2024

क्रमांक एफ.1(अ)(4)/स्था./डीटीए/ 7688

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक एवं परियोजना निदेशक (आई.एफ.एम.एस.) को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार निदेशालय कोष एवं लेखा (मुख्यालय) में मंत्रालयिक सेवा संवर्ग की संशोधित कैंडर स्ट्रेन्थ को IFMS में Online Update & Mapping करावे।
4. कोषाधिकारी (सचिवालय) जयपुर।
5. उपनिदेशक (आई.टी.) निदेशालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
7. लेखा/रोकड़ शाखा।
8. रक्षित पत्रावली।

  
(नरेन्द्र सिंह)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)